



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022025-260737
CG-DL-E-03022025-260737

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2025/माघ 10, 1946

No. 57]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2025/MAGHA 10, 1946

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 86(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय (महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण के सिवाय), रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, (प्रशिक्षण अधिकारी समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2003 तथा प्रशिक्षण निदेशालय (महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण के सिवाय), रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, प्रशिक्षण अधिकारी के (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय (महिला प्रशिक्षण के सिवाय), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2025 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पद उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रशिक्षण अधिकारी (वेल्डर, कार्यशाला गणना और विज्ञान, टर्नर, ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल), इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन, फिटर मशीनिस्ट और ऑपरेटर उन्नत मशीन टूल या ग्राइंडर, उपकरण मैकेनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग अनुरक्षण, डीजल मैकेनिक, फाउंड्रीमैन या मोल्डर, मोटर वाहन मैकेनिक, सिलाई तकनीकी, टूल एंड डाई मेकिंग, मशीन उपकरण अनुरक्षण मैकेनिक, काष्ठकार (बढ़ई), शीट धातु कर्मकार, रेफ्रिजरेशन और एयर	335*(2025) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)। टिप्पण: पच्चीस ट्रेडों के प्रशिक्षण अधिकारी के पद शिक्षण के सिद्धांत के साथ विनिमेय हैं। 1. वेल्डर - 22 2. कार्यशाला गणना और विज्ञान-14 3. टर्नर - 10 4. ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल) - 10 5. इलेक्ट्रीशियन या	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये)।	चयन

<p>कंडीशनिंग मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन (सिविल), कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक ट्रैक्टर, प्लंबर, इंजीनियरी ड्राइंग को पढ़ना तथा अंकगणित, शिक्षण के सिद्धांत या प्रशिक्षण पद्धति।</p>	<p>वायरमैन - 36</p> <p>6. फिटर - 40</p> <p>7. मशीनिस्ट और ऑपरेटर एडवांस्ड मशीन टूल या ग्राइंडर - 12</p> <p>8. इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक - 2</p> <p>9. कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग अनुरक्षण - 6</p> <p>10. डीजल मैकेनिक - 8</p> <p>11. फाउंड्रीमैन या मोल्डर - 2</p> <p>12. मोटर वाहन मैकेनिक - 14</p> <p>13. सिलाई प्रोद्योगिकी - 6</p> <p>14. टूल और डाई मेकिंग - 1</p> <p>15. मशीन उपकरण अनुरक्षण मैकेनिक - 2</p> <p>16. काष्ठकार (बढ़ई) - 4</p> <p>17. शीट धातु कर्मकार - 1</p> <p>18. रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक- 8</p> <p>19. ड्राफ्ट्समैन (सिविल) - 6</p> <p>20. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन - 28</p> <p>21. ड्रेस मेकिंग - 2</p> <p>22. इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक - 12</p> <p>23. मैकेनिक ट्रैक्टर - 2</p> <p>24. प्लम्बर - 4</p> <p>25. इंजीनियरी ड्राइंग(ईडी) या ड्राइंग को पढ़ना तथा अंकगणित - 24</p> <p>26. शिक्षण के सिद्धांत या प्रशिक्षण पद्धति-59।</p>			
---	---	--	--	--

सीधे भर्ती के जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती के जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अहर्ताएं।
(6)	(7)
<p>तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं।</p> <p>(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।</p> <p>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।</p>	<p>1. वेल्डर:</p> <p>(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या मैकेनिकल या उत्पादन इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री के साथ वेल्डिंग या फैब्रिकेशन क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(ii) तकनीकी शिक्षा बोर्ड या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या उत्पादन इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा या व्यावसायिक में उन्नत डिप्लोमा के साथ वेल्डिंग या फैब्रिकेशन क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा वेल्डर के व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ वेल्डिंग या फैब्रिकेशन क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।</p> <p>2. कार्यशाला गणना और विज्ञान:</p> <p>(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री के साथ कार्यशालाएं गणना और विज्ञान शिक्षण में दो वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(ii) तकनीकी शिक्षा बोर्ड या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक) के साथ कार्यशाला गणना और विज्ञान शिक्षण में पांच वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदत्त किसी भी इंजीनियरी व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ कार्यशाला गणना और विज्ञान शिक्षण में सात वर्ष का अनुभव।</p> <p>3. टर्नर:</p> <p>(i) तकनीकी शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या मैकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री के साथ टर्निंग या मशीनिंग क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा के साथ टर्निंग या मशीनिंग क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा टर्नर के व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ टर्निंग या मशीनिंग क्षेत्र में सात वर्ष के अनुभव।</p>

4. ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल) :

- (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या मैकेनिकल या उत्पादन इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री के साथ, ड्राइंग ऑफिस या ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल) क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या
- (ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या उत्पादन इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा के साथ ड्राइंग ऑफिस या ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल) क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या
- (iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा ड्राफ्ट्समैन के व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ ड्राइंग ऑफिस या ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल) क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।

5. इलेक्ट्रीशियन या वायरमेन:

- (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री, के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी या इलेक्ट्रीशियन क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या
- (ii) तकनीकी शिक्षा बोर्ड या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा या उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक) के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी या इलेक्ट्रीशियन क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या
- (iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा इलेक्ट्रीशियन या वायरमेन व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी या इलेक्ट्रीशियन क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।

6. फिटर:

- (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या उत्पादन इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री के साथ फिटिंग या असेम्बलिंग क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या
- (ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या उत्पादन इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा के साथ फिटिंग या असेम्बलिंग क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या
- (iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा फिटर के व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ फिटिंग या असेम्बलिंग क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।

	<p>7. मशीनिस्ट या ऑपरेटर स्वचालित मशीन टूल या ग्राइंडर:</p> <p>(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या मैकेनिकल या उत्पादन इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री के साथ स्वचालित मशीनिंग क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या उत्पादन इंजीनियरी के साथ मशीनिंग या स्वचालित मशीन क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मशीनिस्ट या ऑपरेटर स्वचालित मशीन टूल के व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ मशीनिंग या स्वचालित मशीन क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।</p> <p>8. इंस्ट्रुमेंट मैकेनिक:</p> <p>(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या इंजीनियरी की समुचित शाखा में स्नातक की डिग्री के साथ इंस्ट्रुमेंटेशन क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड या राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी की उपयुक्त शाखा में तीन वर्ष का डिप्लोमा या उन्नत डिप्लोमा व्यावसायिक के साथ इंस्ट्रुमेंट क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा इंस्ट्रुमेंट मैकेनिक के व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ इंस्ट्रुमेंटेशन क्षेत्र में क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।</p> <p>9. कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क अनुरक्षण:</p> <p>(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या कंप्यूटर विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रोनिक्स और संचार में स्नातक की डिग्री के साथ, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क अनुरक्षण क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड या 'ए' स्तर या राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी और संचार में उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक) के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क अनुरक्षण क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क अनुरक्षण व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क अनुरक्षण क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।</p>
--	---

	<p>10. डीजल मैकेनिक :</p> <p>(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री के साथ ऑटोमोटिव क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(ii) तकनीकी शिक्षा बोर्ड या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में तीन वर्ष का डिप्लोमा या उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक) के साथ ऑटोमोटिव क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मैकेनिक डीजल के व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ ऑटोमोटिव क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।</p> <p>11. फाउंड्रीमैन या मोल्डर :</p> <p>(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या मैकेनिकल या उत्पादन इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री के साथ मोल्लिंग या फाउंड्री क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या उत्पादन इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा के साथ मोल्लिंग या फाउंड्री क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदत्त फाउंड्रीमैन व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ मोल्लिंग या फाउंड्री क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।</p>
	<p>12. मोटर वाहन मैकेनिक :</p> <p>(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री के साथ ऑटोमोटिव क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(ii) तकनीकी शिक्षा बोर्ड या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा या उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक) के साथ ऑटोमोटिव क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मैकेनिक मोटर वाहन व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ ऑटोमोटिव क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।</p> <p>13. सिलाई तकनीकी:</p> <p>(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या कॉस्ट्यूम डिजाइन और ट्रेस मैकिंग या फैशन प्रोद्योगिकी या फैशन डिजाइनिंग या परिधान तकनीकी या परिधान निर्माण तकनीकी में स्नातक की</p>

	<p>डिग्री के साथ कटिंग और सिलाई या ट्रेस मेकिंग या वस्त्र मेकिंग क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कॉस्ट्यूम डिजाइन और ट्रेस मेकिंग या फैशन प्रोद्योगिकी या फैशन डिजाइनिंग या परिधान तकनीकी या परिधान निर्माण तकनीकी में न्यूनतम दो वर्ष के डिप्लोमा के साथ कटिंग और सिलाई या ट्रेस मेकिंग या वस्त्र मेकिंग क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सिलाई तकनीकी के व्यावसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ कटिंग और सिलाई या ट्रेस मेकिंग या गारमेंट मेकिंग क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।</p> <p>14. टूल और डाई मेकिंग:</p> <p>(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या मैकेनिकल या उत्पादन इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री के साथ टूल इंजीनियरी या टूल एवं डाई मेकिंग क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या उत्पादन इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा के साथ टूल इंजीनियरी या टूल और डाई मेकिंग क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा टूल और डाई मेकर व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र टूल इंजीनियरी या टूल और डाई मेकिंग क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।</p> <p>15. मशीन टूल अनुरक्षण मैकेनिक:</p> <p>(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या मैकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री के साथ मशीन टूल अनुरक्षण क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा के साथ मशीन टूल अनुरक्षण क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मशीन टूल मैकेनिक अनुरक्षण के व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ मशीन टूल अनुरक्षण क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।</p> <p>16. काष्ठकार (बढ़ई) :</p> <p>(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या मैकेनिकल या उत्पादन इंजीनियरी में या औद्योगिक इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री के साथ काठ कार्य क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या</p>
--	---

(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या उत्पादन या औद्योगिक इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा के साथ काठ कार्य क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या

(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा काष्ठकार व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ काठ कार्य क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।

17. शीट धातु कर्मकार:

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या मैकेनिकल या धातुकर्म या उत्पादन इंजीनियरी या मेकैट्रॉनिक्स में स्नातक की डिग्री के साथ शीट धातु या फैब्रिकेशन क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या

(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या धातुकर्म या उत्पादन या मेकैट्रॉनिक्स इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा के साथ शीट धातु या फैब्रिकेशन क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या

(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा शीट धातु कर्मकार व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ शीट धातु या फैब्रिकेशन क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।

18. रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक:

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या मैकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री के साथ रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या

(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा तथा रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या

(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एवं एयर-कंडीशनर व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ रेफ्रिजरेशन और एयर-कंडीशनर के क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।

19. ड्राफ्ट्समैन (सिविल):

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या सिविल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री के साथ ड्राइंग ऑफिस या ड्राफ्ट्समैन (सिविल) क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या

(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा के साथ ड्राइंग ऑफिस या ड्राफ्ट्समैन (सिविल) क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या

	<p>(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा ड्राफ्ट्समैन सिविल व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ ड्राइंग ऑफिस या ड्राफ्ट्समैन (सिविल) में सात वर्ष का अनुभव।</p> <p>20. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन:</p> <p>(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री के साथ, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड या राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी अथवा 'ए' स्तर में तीन वर्ष का डिप्लोमा या सूचना तकनीकी, या उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक) सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।</p> <p>21 ड्रेस मेकिंग:</p> <p>(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या कॉस्ट्यूम डिजाइन और ड्रेस मेकिंग या फैशन प्रौद्योगिकी या फैशन डिजाइनिंग या परिधान तकनीकी या निर्माण तकनीकी में स्नातक की डिग्री के साथ कटिंग और सिलाई या ड्रेस मेकिंग या वस्त्र मेकिंग क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कॉस्ट्यूम डिजाइन और ड्रेस मेकिंग या फैशन प्रौद्योगिकी या फैशन डिजाइनिंग या परिधान तकनीकी या परिधान निर्माण तकनीकी में न्यूनतम दो वर्ष के डिप्लोमा के साथ कटिंग और सिलाई या ड्रेस मेकिंग या वस्त्र मेकिंग क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा ड्रेस मेकिंग के व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ कटिंग और सिलाई या ड्रेस मेकिंग या गारमेंट मेकिंग क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।</p> <p>22. इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक:</p> <p>(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड या राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा या उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक) के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या</p>
--	---

- (iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव ।

23. मैकेनिक ट्रेक्टर:

- (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या कृषि या उत्पादन या मैकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री के साथ ऑटोमोटिव क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या
- (ii) तकनीकी शिक्षा बोर्ड या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या मैकेनिकल या उत्पादन इंजीनियरी के साथ में तीन वर्ष का डिप्लोमा या उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक) ऑटोमोटिव क्षेत्र में पांच वर्ष के अनुभव के साथ; या
- (iii) मैकेनिक ट्रेक्टर व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ ऑटोमोटिव क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव ।

24. प्लम्बर:

- (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री के साथ प्लम्बर कार्य में प्लम्बर क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या
- (ii) तकनीकी शिक्षा बोर्ड या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा के साथ प्लम्बर कार्य में पांच वर्ष का अनुभव; या
- (iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्लम्बर व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ प्लम्बर कार्य में सात वर्ष का अनुभव ।

25. इंजीनियरी ड्राइंग या रीडिंग ऑफ ड्रॉइंग एंड अर्थमैटिक (रोडा) :

- (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या इंजीनियरी की किसी शाखा में स्नातक की डिग्री के साथ इंजीनियरी ड्राइंग क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या
- (ii) तकनीकी शिक्षा बोर्ड या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी की किसी शाखा में तीन वर्ष का डिप्लोमा के साथ इंजीनियरी ड्राइंग क्षेत्र में पांच साल का अनुभव; या
- (iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल या ड्राफ्ट्समैन सिविल व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ इंजीनियरी ड्रॉइंग क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव ।

	<p>26. शिक्षण या प्रशिक्षण पद्धति का सिद्धांत:</p> <p>(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक या इंजीनियरी की किसी भी शाखा में स्नातक की डिग्री के साथ सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी की किसी भी शाखा में तीन वर्ष का डिप्लोमा के साथ सुसंगत क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा किसी भी व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र के साथ सुसंगत क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण अधिकारी के लिए पात्र अभ्यर्थी शिक्षण सिद्धांत के लिए भी पात्र होंगे। 2. संबंध व्यवसाय में डिग्री या डिप्लोमा या शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण-पत्र या शिल्पकार प्रशिक्षक प्रशिक्षण स्कीम अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को अंकों में दस प्रतिशत का भारांश दिया जाएगा। 3. अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। 4. अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
नहीं।	<p>दो वर्ष,</p> <p>टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।</p>	<p>(i) सड़सठ प्रतिशत सीधी भर्ती और</p> <p>(ii) तैंतीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p>

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
<p>प्रोन्नति :-</p> <p>व्यावसायिक प्रशिक्षक या कनिष्ठ तकनीकी सहायक या मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या स्टोर कीपर, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400) ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से व्यवसाय की अपेक्षा को पूरा करने के लिए कमप्यूटर ऑपरेशन, माइक्रोसॉफ्ट आफिस (वर्ल्ड, एक्सल, पावर प्वाइंट, इंटरनेट आदि के क्षेत्र में सफलतापूर्वक दो से चार सप्ताह की प्रशिक्षण अवधि पूरी की हो।</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची, अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्रेड या पद में विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु 35400 से रु 112400) में हो या मूल काडर या विभाग में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की इसके समतुल्य हों; और</p> <p>(ख) स्तंभ (7) के अधीन पद पर सीधे भर्ती व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव हों।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषण सवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत, केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य विभाग या संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>विभागीय प्रोन्नति समिति समूह ख (राजपत्रित पद):-</p> <ol style="list-style-type: none"> महानिदेशक, प्रशिक्षण (प्रशिक्षण महानिदेशालय) – अध्यक्ष; उप महानिदेशक प्रशिक्षण – सदस्य; उप सचिव या निदेशक (प्रशासन), प्रशिक्षण महानिदेशालय – सदस्य 	<p>सीधी भर्ती के दौरान संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक, प्रशिक्षण (प्रशिक्षण महानिदेशालय) — अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक प्रशिक्षण — सदस्य; 3. उप सचिव या निदेशक (प्रशासन), प्रशिक्षण महानिदेशालय — सदस्य 	
--	--

[फा. सं. ए-12025/1/2022/डीडीटी(स्कीम)(ई-47404)]

ईश्वर सिंह, उप महानिदेशक (प्रशिक्षण)

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(Directorate General of Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2025

G.S.R. 86(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Training (except Women Occupational Training), Directorate General of Employment and Training, Training Officer (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2003 and the Directorate of Training (except Women Occupational Training), Directorate General of Employment and Training (Group 'B' posts of Training Officer) Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Training Officer in the Directorate General of Training Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, namely:

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Directorate General of Training, Technical (except Women Training), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Training Officer. (Welder, Workshop Calculation and Science, Turner, Draughtsman (Mechanical), Electrician or Wiremen, Fitter Machinist and Operator Advanced Machine Tool or Grinder, Instrument Mechanic, Computer Hardware and Networking Maintenance, Mechanic Diesel, Foundryman or Moulder, Mechanic Motor Vehicle, Sewing Technology, Tool and Die Making, Mechanic Machine Tool Maintenance, Carpenter, Sheet Metal Worker, Mechanic Refrigeration and Air Conditioning, Draughtsman (Civil), Computer Software Application, Dress Making, Electronics Mechanic, Mechanic Tractor, Plumber, Engineering Drawing or Reading of Drawing and Arithmetic, Principles of Teaching or Training	335* (2025) (Subject to variation dependent on workload). 1. Welder – 22 2. Workshop Calculation and Science – 14 3. Turner – 10 4. Draughtsman (Mechanical) – 10 5. Electrician or Wiremen – 36 6. Fitter – 40 7. Machinist and Operator Advanced Machine Tool or Grinder – 12 8. Instrument Mechanic – 2 9. Computer Hardware and Networking Maintenance – 6 10. Mechanic Diesel – 8 11. Foundryman or Moulder – 2 12. Mechanic Motor Vehicle – 14 13. Sewing Technology – 6 14. Tool and Die Making – 1 15. Mechanic Machine Tool Maintenance – 2 16. Carpenter – 4 17. Sheet Metal Worker – 1 18. Mechanic Refrigeration and Air Conditioning – 8 19. Draughtsman (Civil) – 6 20. Computer Software Application – 28	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Selection.

Methodology).	21. Dress Making – 2 22. Electronics Mechanic – 12 23. Mechanic Tractor – 2 24. Plumber – 4 25. Engineering Drawing or Reading of Drawing and Arithmetic – 24 26. Principles of Teaching or Training Methodology – 59. Note: The Post of Training Officer of twenty-five trades are interchangeable with Principle of Teaching.			
---------------	---	--	--	--

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
<p>Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.</p>	<p>1. Welder:</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or Mechanical or Production Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council for Technical Education with two years' experience in welding or fabrication field; or</p> <p>(ii) three years' diploma in Mechanical or Production Engineering or Advanced diploma (Vocational) from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council for Technical Education or National Council for Vocational Education and Training with five years' experience in welding or fabrication field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Welder awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in welding or fabrication field.</p> <p>2. Workshop Calculation and Science :</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in workshop calculation and science teaching; or</p> <p>(ii) three years' diploma in Engineering or Advanced diploma (Vocational) from recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of Technical Education or National Council for Vocational</p>

	<p>Education and Training with five years' experience in workshop calculation and science teaching ; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in any engineering trade awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in workshop calculation and science teaching.</p>
	<p>3. Turner:</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or Mechanical Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in turning or machining field; or</p> <p>(ii) three years' diploma in Mechanical Engineering from a recognised university or institute approved by the Board of Technical Education or All India Council of Technical Education with five years' experience in turning or machining field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Turner awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in turning or machining field.</p> <p>4. Draughtsman (Mechanical):</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or Mechanical or Production Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in drawing office or draughtsman (mechanical) field; or</p> <p>(ii) three years' diploma in Mechanical or Production Engineering from a recognised university or institute approved by the Board of Technical Education or All India Council of Technical Education with five years' experience in drawing office or draughtsman (mechanical) field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Draughtsman awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in drawing office or draughtsman (mechanical) field.</p> <p>5. Electrician or Wiremen:</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or Electrical or Electrical and Electronics Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in electrical engineering or electrician field; or</p> <p>(ii) three years' diploma in Electrical or Electrical and Electronics Engineering or Advanced diploma (Vocational) from a</p>

	<p>recognised university or institute approved by the Board of Technical Education or All India Council of Technical Education or National Council for Vocational Education and Training with five years' experience in electrical engineering or electrician field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Electrician or Wiremen awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in electrical engineering or electrician field.</p>
	<p>6. Fitter:</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or Mechanical or Production Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in fitting or assembling field; or</p> <p>(ii) three years' diploma in Mechanical or Production Engineering from a recognised university or institute approved by the Board of Technical Education or All India Council of Technical Education with five years' experience in fitting or assembling field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Fitter awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in fitting or assembling field.</p> <p>7. Machinist or Operator Automatic Machine Tool or Grinder:</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or Mechanical or Production Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in machining and automatic machine tool field; or</p> <p>(ii) three years' diploma in Mechanical or Production Engineering from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of Technical Education with five years' experience in machining and automatic machine tool field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Machinist or Operator Automatic Machine Tool awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in machining and automatic machine tool field.</p> <p>8. Instrument Mechanic:</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or appropriate branch of Engineering from a recognised university or institute approved</p>

	<p>by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in instrumentation field; or</p> <p>(ii) three years' diploma in appropriate branch of Engineering or Advanced diploma (Vocational) from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of Technical Education or National Council for Vocational Education and Training with five years' experience in instrumentation field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Instrument Mechanic awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in instrumentation field.</p>
	<p>9. Computer Hardware and Networking Maintenance :</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or Computer Science or Information Technology or Electronics and Communication from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in computer hardware and network maintenance field; or</p> <p>(ii) three years' diploma in Computer Science or Information Technology or Electronics and Communication or 'A' level diploma or Advanced diploma (Vocational) from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of Technical Education or National Council for Vocational Education and Training with five years' experience in computer hardware and network maintenance field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Computer Hardware and Networking Maintenance awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in computer hardware and network maintenance field.</p> <p>10. Mechanic Diesel:</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or Automobile or Mechanical Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in automotive field; or</p> <p>(ii) three years' diploma in Automobile or Mechanical or Advanced diploma (Vocational) from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of Technical Education or National Council for Vocational Education and Training with five years' experience in automotive field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Mechanic Diesel awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' of experience in automotive field.</p>

	<p>11. Foundryman or Moulder:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) bachelor degree in Vocation or Mechanical or Production Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in moulding or foundry field; or (ii) three years' diploma in Mechanical or Production Engineering from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of Technical Education with five years' experience in moulding or foundry field; or (iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Foundryman awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in moulding or foundry field. <p>12. Mechanic Motor Vehicle:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) bachelor degree in Vocation or Automobile or Mechanical Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in automotive field; or (ii) three years' diploma in Automobile or Mechanical or Advanced diploma (Vocational) from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of Technical Education or National Council for Vocational Education and Training with five years' experience in automotive field; or (iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Mechanic Motor Vehicle awarded by the National Council for Vocational Training with seven years of experience in automotive field. <p>13. Sewing Technology:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) bachelor degree in Vocation or Costume Designing and Dress Making or Fashion Designing or Fashion Technology or Apparel Technology or Garment Fabrication Technology from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in cutting and tailoring or dress making or garment making field; or (ii) minimum two years' diploma in Costume Designing and Dress Making or Fashion Designing or Fashion Technology or Apparel Technology or Garment Fabrication Technology from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of Technical Education with five years' experience in cutting and tailoring or dress making or garment making field; or (iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Sewing Technology awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in cutting and tailoring or dress making or garment making field. <p>14. Tool and Die Making:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) bachelor degree in Vocation or Mechanical or Production Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in tool engineering or tool and die making field; or
--	---

	<p>(ii) three years' diploma in Mechanical or Production Engineering from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of Technical Education with five years' experience in tool engineering or tool and die making field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Tool and Die Making awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in tool engineering or tool and die making field.</p> <p>15. Mechanic Machine Tool Maintenance:</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or Mechanical Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in machine tool maintenance field; or</p> <p>(ii) three years' diploma in Mechanical Engineering from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of Technical Education with five years' experience in machine tool maintenance field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Mechanic Machine Tool Maintenance awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in machine tool maintenance field.</p> <p>16. Carpenter:</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or Mechanical or Production or Industrial Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in wood work field; or</p> <p>(ii) three years' diploma in Mechanical or Production or Industrial Engineering from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of Technical Education with five years' experience in wood work field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Carpenter awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in wood work field.</p> <p>17. Sheet Metal Worker:</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or Mechanical or Production or Metallurgy or Mechatronics Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in sheet metal or fabrication field; or</p> <p>(ii) three years' diploma in Mechanical or Production or Metallurgy or Mechatronics Engineering from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of Technical Education with five years' experience in sheet metal or fabrication field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Sheet Metal Worker awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in the sheet metal or</p>
--	---

	<p>fabrication field.</p> <p>18. Mechanic Refrigeration and Air Conditioning:</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or Mechanical Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in refrigeration and air conditioning field; or</p> <p>(ii) three years' diploma in Mechanical Engineering from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of Technical Education with five years' experience in refrigeration and air conditioning field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Mechanic Refrigeration and Air Conditioning awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in refrigeration and air conditioning field.</p> <p>19. Draughtsman (Civil):</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or Civil Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in drawing office or draughtsman (civil) field; or</p> <p>(ii) three years' diploma in Civil Engineering from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of Technical Education with five years' experience in drawing office or draughtsman (civil) field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Draughtsman (Civil) awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in drawing office or draughtsman (civil) field.</p> <p>20. Computer Software Application:</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or Computer Science or Information Technology from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in software application field; or</p> <p>(ii) three years' diploma in Computer Science or Information Technology or 'A' level diploma or Advanced diploma (Vocational) from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of Technical Education or National Council for Vocational Education and Training with five years' experience in software application field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Computer Operator and Programming Assistant awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in software application field.</p> <p>21. Dress Making:</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or Costume Designing and Dress Making or Fashion Designing or Fashion Technology or Apparel Technology or Garment Fabrication Technology from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in cutting and tailoring or dress making or garment making field; or</p> <p>(ii) minimum two years' diploma in Costume Designing and Dress Making or Fashion Designing or Fashion Technology or Apparel Technology or Garment Fabrication Technology from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of</p>
--	---

	<p>Technical Education with five years' experience in cutting and tailoring or dress making or garment making field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Dress Making awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in cutting and tailoring or dress making or garment making field.</p> <p>22. Electronics Mechanic:</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or Electronics Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in electronics field; or</p> <p>(ii) three years' diploma in Electronics Engineering or Advanced diploma (Vocational) from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of Technical Education or National Council for Vocational Education and Training in Electronics with five years' experience in electronics field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Electronics Mechanic awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in electronics field.</p> <p>23. Mechanic Tractor:</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or Agricultural or Mechanical or Production Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in automotive field; or</p> <p>(ii) three Years' diploma in Agricultural or Mechanical or Production Engineering or Advanced diploma (Vocational) from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of Technical Education or National Council for Vocational Education and Training with five years' experience in automotive field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Mechanic Tractor with seven years' experience in automotive field.</p> <p>24. Plumber:</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or Mechanical or Civil Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in plumber work; or</p> <p>(ii) three years' diploma in Mechanical or Civil Engineering from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of Technical Education with five years' experience in plumber work; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Plumber awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in plumber work.</p> <p>25. Engineering Drawing or Reading of Drawing and Arithmetic :</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or any branch of Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in engineering drawing field; or</p>
--	---

	<p>(ii) three years' diploma in any branch of Engineering from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of Technical Education with five years' experience in the engineering drawing field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in the trade of Draughtsman Mechanical or Draughtsman Civil awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in engineering drawing field.</p> <p>26. Principles of Teaching or Training Methodology:</p> <p>(i) bachelor degree in Vocation or any branch of Engineering from a recognised university or institute approved by the University Grants Commission or All India Council of Technical Education with two years' experience in the relevant field; or</p> <p>(ii) three years' diploma in any branch of Engineering from a recognised university or institute approved by the Technical Board of Education or All India Council of Technical Education with five years' experience in the relevant field; or</p> <p>(iii) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate in any trade awarded by the National Council for Vocational Training with seven years' experience in the relevant field.</p> <p>Note 1: The candidate eligible for Training officer will also be eligible for Principles of Teaching.</p> <p>Note 2: Maximum ten per cent. weightage in marks will be awarded to candidates having National Craft Instructor Certificate or Craftsmen Instructor Training Scheme qualification after acquiring degree or diploma or Craftsmen Training Scheme qualification in the concerned trade.</p> <p>Note 3: Qualification are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission or Competent Authority for reason to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 4: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or competent authority, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
No.	<p>Two years.</p> <p>Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the competent authority.</p>	<p>(i) sixty-seven per cent. by direct recruitment; and</p> <p>(ii) thirty-three per cent. by promotion, failing which by deputation.</p>

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
<p>Promotion:</p> <p>Vocational Instructor or Junior Technical Assistant or Maintenance Electrician or Maintenance Electronics or Store Keeper in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400) with five years of regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training duration in the area of computer operations in MicroSoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet etc.) from any Government or Government recognised institute to fulfil the trade requirement.</p> <p>Note1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations;</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35400 – 112400) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director General of Training (Directorate General Training) -Chairperson; 2. Deputy Director General of Training -Member; 3. Deputy Secretary or Director (Administration), Directorate General of Training - Member. 	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.</p>

Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-		
1.	Director General of Training (Directorate General Training)	-Chairperson;
2.	Deputy Director General of Training	-Member;
3.	Deputy Secretary or Director (Administration), Directorate General of Training	-Member.

[F. No. A-12025/1/2022-DDT(SCHM)(E-47404)]

ISHWAR SINGH, Dy. Director General (Training)